संख्या-209/2023/001-1154/23-10002/8/2023

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 30 अक्टूबर, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद सोनभद्र के कुल 07 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के निम्नांकित पत्रों का कृपया सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें :-

क्रं0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	933/नदी सेतु/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/2023 दि0 07.08.2023
2	932/नदी सेतु/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/2023 दि0 07.08.2023
3	931/नदी सेतु/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/2023 दि0 07.08.2023
4	930/नदी सेतु/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/2023 दि0 07.08.2023
5	929/नदी सेतु/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/2023 दि0 07.08.2023
6	928/नदी सेतु/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/2023 दि0 07.08.2023
7	927/नदी सेतु/मीरजापुर क्षेत्र/सेतु-3/2023 दि0 07.08.2023

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद सोनभद्र के कुल 07 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू0 894.15 लाख (रूपये आठ करोड़ चौंरानबें लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत प्रथम किश्त के रूप में कॉलम-7 में अंकित कुल रू0 631.74 लाख (रूपये छः करोड़ इकतीस लाख चौहत्तर हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2023-2024 में आवंटन की फांट			कार्यदायी संस्था
				अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	कुल योग (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में एम0एम0बी0सी0बी0 मार्ग के किमी0-63 में 3x3.00x3.00 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट एवं अनुरक्षण कार्य के निर्माण कार्य।	120.74	76.10	20.49	96.59	लो0नि0वि0
2	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में एम0एम0बी0सी0बी0 मार्ग के किमी0-67 में 3x3.00x3.00 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट एवं अनुरक्षण कार्य के निर्माण कार्य।	121.30	76.46	20.58	97.04	लो0नि0वि0
3	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के किमी0-370 में पूर्व निर्मित सकरी आर्च पुलिया के स्थान पर 3x4.00x3.00 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	93.98	59.24	15.94	75.18	लो0नि0वि0
4	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के किमी0-355 में पूर्व निर्मित सकरी आर्च पुलिया के स्थान पर 3x4.00x3.00 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	90.51	57.05	15.36	72.41	लो0नि0वि0
5	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के किमी0-346 में पूर्व निर्मित सकरी आर0सी0सी0 पुलिया के स्थान पर 3x4.00x3.00 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	94.87	59.80	16.10	75.90	लो0नि0वि0
6	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के किमी0-353 में पूर्व निर्मित सकरी आर्च पुलिया के स्थान पर 3x4.00x3.00 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट एवं सुरक्षात्मक के निर्माण कार्य।	94.18	59.36	15.98	75.34	लो0नि0वि0
7	सोनभद्र	जनपद सोनभद्र में लुम्बिनी दुद्धी मार्ग के किमी0-363 में पूर्व निर्मित सकरी आर्च पुलिया के स्थान पर 5x6.00x6.00 मी0 स्पान के बॉक्स कल्वर्ट एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	278.57	109.74	29.54	139.28	लो0नि0वि0
		योगः -	**894.15**	**497.75**	**133.99**	**631.74**	

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अत: भूमि का क्रय विभागाध्यक्ष द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(12) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(14) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(16) विभागाध्यक्ष द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(17) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

(18) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनॉक 17 मार्च 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,97,75,000 (रुपये चार करोड़ सत्तानबें लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 1,33,99,000 (रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख निन्यानबें हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-702-X-2023-24- दिनांक: 11-10-2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-209/2023/1154(1)/001-1154/23-10002/8/2023, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ संबंधित जिलाधिकारी।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in